दिनाक 18.06.2022
प्रेस विज्ञप्ति 18/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद झॉसी/थाना समथर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 06 लाख 25 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **03 दो पहिया वाहन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 18.06.2022 को थाना समथर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दतावली रोड पर कस्बा समथर से 03 अभियुक्तों 1–शिवम 2–साहिल 3–रहीश उर्फ बन्टी को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया एवं एक बाल अपचारी को अभिरक्षा लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 06 लाख 25 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 03 दो पहिया वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.06.2022 को थाना समथर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना समथर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना समथर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शिवम निवासी ग्राम कोट थाना सीपरी बाजार जनपद झॉसी।

2–साहिल निवासी ग्राम बेहटा थाना सीपरी बाजार जनपद झॉसी।

3–रहीश उर्फ बन्टी निवासी ग्राम गणेश खेरा थाना जिगना दतिया(म0प्र0)

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 06 लाख 25 हजार रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन।

3– 03 दो पहिया वाहन।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

<u>जनपद आगरा/थाना सदर</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 50 हजार रूपये नगद**
- **लूट के सोने व चॉदी के आभूषण**
- **01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 अवैध रिवाल्वर, 06 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 17.06.2022 को थाना सदर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोहता चौराहे से नहर वाले रास्ते पर चेकिंग दौरान पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1–अजय कुमार 2–राजेश को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 50 हजार रूपये नगद, लूट के सोने व चॉदी के आभूषण, 01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 अवैध रिवाल्वर, 06 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल(नम्बर प्लेट कटी हुई) बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त अजय कुमार के विरूद्ध जनपद आगरा के विभिन्न थानो पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के 05 अभियोग व अभियुक्त राजेश के विरूद्ध थाना सदर में लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 15.05.2022 को थाना सदर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, सोने व चॉदी के आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अजय कुमार निवासी नगला विधिचन्द थाना सदर जनपद आगरा, हाल निवासी नगल टीन थाना ताजगंज जनपद आगरा।

2—राजेश निवासी मोहल्ला पृथ्वीनाथ थाना शाहगंज जनपद आगरा।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 50 हजार रूपये नगद।

2—लूट के सोने व चॉदी के आभूषण।

3—01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

4—01 अवैध रिवाल्वर, 06 जीवित कारतूस।

5— घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल(नम्बर प्लेट कटी हुई)।

जनपद फिरोजाबाद/थाना मक्खनपुर

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 18.06.2022 को थाना मक्खनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिल्टीगढ पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त हिमाचल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना दक्षिण पर पंजीकृत मु0अ0सं0—613/2021 धारा 394 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मक्खनपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हिमाचल निवासी ग्राम घोघई थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—58

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **42 एटीएम कार्ड,**
- **41 फर्जी आधार कार्ड, 02 आईडी कार्ड, 09 चेक बुक, 04 पासबुक**
- **13 मोबाइल फोन**
- **01 स्कैनर मशीन बरामद**

दिनांक 18.06.2022 को थाना सेक्टर—58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर—22 नोएडा से 04 शातिर अभियुक्तों 1—जय प्रकाश उर्फ पंकज 2—अरमान 3—टीटोन दास उर्फ टीटू 4—नीरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 42 एटीएम कार्ड, 41 फर्जी आधार कार्ड, 02 आईडी कार्ड, 09 चेक बुक, 04 पासबुक, 13 मोबाइल फोन, 01 स्कैनर मशीन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा एटीएम में जाने वाले ग्राहकों की सहायता करने के बहाने उनके एटीएम कार्ड को बदल कर पैसा निकाल लेते है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर—58 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जय प्रकाश उर्फ पंकज निवासी इन्दिरा बिहार खोडा कालोनी, जनपद गाजियाबाद, मूल निवासी ग्राम दरवा थाना बस्ती जनपद बस्ती।

2—अरमान निवासी दीपक विहार, खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम पकरी विशनपुर थाना घुगली जनपद महराजगंज।

3—टीटोन दास उर्फ टीटू निवासी ब्लड बैंक वाली गली नम्बर—3 सेक्टर—31 थाना सेक्टर—20 नोएडा मूल निवासी ग्राम गंगारामपुर नियर फुटबाल स्टेडियम जनपद मालदा, पश्चिम बंगाल।

4–नीरज निवासी ग्राम विशनपुरा थाना सेक्टर–58 नोएडा मूल निवासी ग्राम यमकेश्वर जनपद पौडी गढवाल, उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1–42 एटीएम कार्ड(विभिन्न बैको के)

2–41 फर्जी आधार कार्ड(भिन्न भिन्न नाम पते के)

3–02 आईडी कार्ड।

4– 09 चेक बुक।

5– 04 पासबुक।

6– 13 मोबाइल फोन।

7–01 स्कैनर मशीन।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 480 पेटी विभिन्न ब्राण्डों की अंग्रेजी शराब (अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 65 लाख रू०) सहित डी०सी०एम० ट्रक बरामद।

दिनांक–17–06–2022 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 480 पेटी विभिन्न ब्राण्डों की अंग्रेजी शराब (अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 65 लाख रू0) सहित डी0सी0एम ट्रक बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :

1– जसवीर सिंह पुत्र दर्षन सिंह, नि0 रहलचहल, थाना चोलाषहर, जनपद तरनतारन, पंजाब **(ट्रक चालक)**।

2– अवजिन्दर सिंह पुत्र बलविन्दर सिंह, नि0 161 बी रामतीरथ रोड, थाना छेहरता, जनपद अमृतसर, पंजाब **(सहायक)**।

<u>वांछित अभियुक्त का विवरण :</u>

राजू निवासी हरियाणा।

<u>बरामदगी :</u>

1– 480 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 65 लाख रूपये)।

(I) Evening Special Whisky 240 पेटी।

(II) Officer Choice Blue Deluxe Grain Whisky 240 पेटी।

2– 01 अदद डी0सी0एम0 ट्रक नं0–एम0एच0–04–जी0आर0–3822।

3– 03 अदद मोबाइल फोन।

4– 02 अदद आधार कार्ड।

5– 01 अदद ड्राइविंग लाइसेन्स।

6– 01 अदद डेबिट कार्ड।

7– नकद रू0 1550/–

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः</u>

कोटिया रोड तिराहे के पास, थाना क्षेत्र मलवां, जनपद फतेहपुर दिनांक–17.06.2022 समय 23:00 PM।

विगत काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा दिल्ली, हरियाणा व पंजाब से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी उ0प्र0 के रास्ते बिहार प्रान्त के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था। उक्त निर्देष के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक–17–06–2022 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, उ0नि0 वेद प्रकाष पाण्डेय, मु0आ0 राजेष कुमार, आरक्षी सुनील कुमार, सोनू, अजय कुमार यादव व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम जनपद फतेहपुर में आपराधिक अभिसूचना संकलन में व्यस्त थी कि मुखबिर खास के माध्यम से सूचना मिली कि शराब तस्करों द्वारा हरियाणा

प्रान्त से अवैध अंग्रेजी शराब विक्रय हेतु कानपुर–प्रयागराज नेषनल हाईवे के रास्ते बिहार प्रान्त ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर विष्वास कर एस0टी0एफ0 टीम तत्काल मुखबिर द्वारा बताये हुये स्थान पर पहुँचकर वाहन का इन्तजार करने लगी। थोड़ी देर में मुखबिर द्वारा बताये गये नम्बर की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उक्त वाहन को कोटिया रोड तिराहे के पास रोककर चेक किया गया तो **डी0सी0एम0 ट्रक पर लदी 32 गत्ता/बोरियों में क्राकरी प्लास्टिक के डिब्बे व तकिया आदि के बीच अवैध अंग्रेजी शराब छिपायी गयी थी,** जिस पर उक्त डी0सी0एम0 ट्रक व उस पर लदी अवैध अंग्रेजी शराब को कब्जे में लेकर 02 अभियुक्तों (ट्रक चालक व सहायक) को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

विस्तृत पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि खरखोंदा हरियाणा के रहने वाले राजू नाम के व्यक्ति द्वारा कई लोगों के साथ मिलकर एक गिरोह बनाकर देष के विभिन्न प्रान्तों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेष, मध्य प्रदेष, बिहार आदि राज्यों में अवैध अंग्रेजी शराब का धन्धा किया जाता है। उक्त राजू द्वारा ही गिरफ्तार अभियुक्तगणों को हरियाणा से यह अवैध अंग्रेजी शराब दिल्ली लाकर बिहार प्रान्त पहुँचाने हेतु डिलीवर किया गया था तथा उसके द्वारा बताया गया था कि वहाँ अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के कुछ लोग मिलेगें, जो वहाँ से अपने अड्डे तक स्वयं लेकर जायेंगे। स्थानीय शराब तस्करों के सम्बन्ध में जानकारी करने पर पकड़े गये अभियुक्तगणों ने अनभिज्ञता प्रकट करते हुये बताया कि बिहार के शराब तस्करों से दूरभाष/व्हाट्सएप्प पर सीधे राजू से वार्ता हो रही थी इसलिये स्थानीय तस्करों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। गिरफ्तार अभियुक्तगण ट्रक चालक व सहायक ज्यादा पैसों के लालच में अवैध अंग्रेजी शराब को ट्रकों व अन्य वाहनों में भरकर विभिन्न प्रान्तों व उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पहुँचाने का काम पिछले काफी समय से इस गिरोह के साथ मिलकर कर रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त जसवीर सिंह (चालक) द्वारा बताया गया कि दिल्ली से बिहार प्रान्त तक यह अवैध शराब पहुँचाने के एवज में उसे एक लाख पचास हजार रूपये तथा उसके साथी अवजिन्दर को बीस हजार रूपये प्रति चक्कर तस्करों से मिल जाते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना मलवां, जनपद फतेहपुर में दाखिल करके मु0अ0सं0–129/2022 धारा–419/420 भादवि व 60(1), 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

––––––